न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या–92/2024

U/S 46(1-b) of CNT Act

बिमली देवी

बनाम्

बैजनाथ राम

–: आदेश :–

आवेदिका बिमली देवी पति–स्व0 दशरथ राम ग्राम–अमडीहा, थाना–बरवाडीह, जिला–लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के तहत् बैजनाथ राम पिता–स्व0 मोती राम ग्राम–अमडीहा, थाना–बरवाडीह, जिला–लातेहार को भूमि बक्सीस करने के लिए आपसी सहमति व्यक्त करते हुए मौजा–अमडीहा अंचल–बरवाडीह के खाता–80 प्लॉट संख्या–698 रकबा–1.72 एकड़ भूमि की अनुमति प्रदान के लिए दाखिल आवेदन पर कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। आवेदक के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बरवाडीह से भूमि का जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

अंचल अधिकारी, बरवाडीह के पत्रांक–06 दिनांक–04.01.2025 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन में वर्णित है कि मौजा–अमडीहा अंचल–बरवाडीह के खाता–80 प्लॉट संख्या–698 रकबा–1.72 एकड़ भूमि का मांग पंजी–II में बिमली देवी के नाम पर जमाबंदी चलता है। बक्सीसकर्त्ता एवं बक्सीस प्राप्तकर्त्ता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, जो एक ही जिला के निवासी है। आवेदक को मौजा–अमडीहा के खाता–80 प्लॉट संख्या–698 रकबा–1.72 एकड़ भूमि बक्सीस करने के बाद आवेदक के पास रकबा–1.50 एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल अधिकारी, बरवाडीह द्वारा आवेदक को भूमि बक्सीस के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुशंसा किया गया है।

आवेदिका बिमली देवी उम्र लगभग–85 वर्ष पति स्व0 दशरथ राम ग्राम–अमडीहा, थाना–बरवाडीह, जिला–लातेहार शपथ पत्र सं0–1428 दिनांक–17.01.2025 समर्पित किया गया है कि मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है तथा बैजनाथ राम मेरी बहन पनवा देवी का लड़का है, जो मेरा सेवा सुश्रुसा एवं बिमारी का ईलाज इत्यादि करता है, जिसके सेवा भाव से संतुष्ट होकर स्वेच्छा से भूमि बक्सीस कर रही हूँ। बैजनाथ राम द्वारा उक्त सभी बातो को शपथ पत्र सं0–1429 दिनांक–17.01.2025 से स्वीकार किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, बरवाडीह द्वारा जांच प्रतिवेदन में आवेदक को भूमि बक्सीस करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए किये गए अनुशंसा दोनों पक्षो द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आलोक में आवेदिका बिमली देवी पति–स्व0 दशरथ राम ग्राम–अमडीहा, थाना–बरवाडीह, जिला–लातेहार को बैजनाथ राम पिता–स्व0 मोती राम ग्राम–अमडीहा, थाना–बरवाडीह, जिला–लातेहार के साथ मौजा–खुरा के खाता–80 प्लॉट संख्या–698 रकबा–1.72 एकड़ भूमि की बक्सीस करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, बरवाडीह एवं जिला अवर निबंधक, लातेहार को भेजे तथा अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

ह0/- अ0

उपायुक्त, लातेहार।

ह0/- अ0

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by UTKARSH GUPTA
Date: 2025.05.14 15:22:07 +05:30
Location: 192.168.137.1